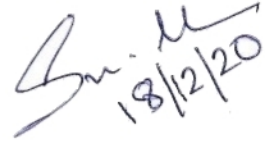


कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद शाहजहाँपुर में बरेली मोढ – पक्का पुल चैनेज 0.00 से 4.00, बरेली मोढ– पिपरौला अहमदपुर एस0एच0–29 चैनेज 469.00 से 475.00 तथा पक्का पुल से मेजबान होटल चैनेज 328.130 से 330.130 तक हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0 द्वारा भूमिगत गैस पाईप लाईन बिछाये जाने में प्रभावित 0.66 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति सम्बन्धी प्रस्ताव अन्तर्गत आवेदित वन भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। वन (संरक्षण) अधिनियम-1980 अन्तर्गत वन भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।


18/12/20

साग्निक मोंडल
SAGNIK MONDAL
प्रबन्धक – परियोजना
Manager - Projects